प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।

सेवा में,

प्रबन्धक,

अंशू पब्लिक हाई स्कूल
दादरी, गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक: क्षे0 का0 मा0 शि0 प0/मे0/मान्यता/2007 दिनांक 4-12-07

विषय: हाईस्कूल मान्य0/वैज्ञानिक वर्ग की सीधे 9-10 की मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के इण्टरमीडिएट शिक्षा संशोधन अधिनियम 1987 की धारा 7 कक के अन्तर्गत आपके विद्यालय को हाईस्कूल साधे 9-10 वैज्ञा0 वर्ग की नवीन मान्यता 2007 की परीक्षा से इस प्रतिबन्ध के साथ दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है कि यदि सम्बन्धित विद्यालय का प्रबन्ध तन्त्र प्रस्ताव पारित करके इण्टरमीडिएट शिक्षा संशोधन अधिनियम 1987 की धारा 7 कक §क के प्राविधानों को बिना किसी शर्त के अंगीकार करता है तो 7 कक§क§ के प्राविधानों के अनुसार निरीक्षण अधिकारी के माध्यम से प्रबन्ध तन्त्र इस आशय का पारित प्रस्ताव भेजे कि हाईस्कूल वै0 वर्ग नवीन सीधे 9-10 की मान्यता खोली जाने वाली अंशकालीन अध्यापकों के सेवा योजन व्यवस्था को ... निमित्त स्वीकार किया जाता है इस हेतु किसी अनुदान की अपेक्षा न कर निजी स्रोत से व्यय वहन किया जायेगा प्रस्ताव निरीक्षक के प्रमाणित होना चाहिए।

उक्त के अतिरिक्त आप निम्न प्रमाण पत्र पुष्टि स्वरूप उपलब्ध करायें

1§ स्वीकृत प्रशासन योजना की यथार्थ प्रतिलिपि जिनके प्रत्येक पृष्ठ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो।

2§ विद्यालय प्राभूत कोष के अन्तर्गत दिखायी गयी अचल सम्पत्ति के निम्न प्रमाणित पत्र उपलब्ध करें।

क§ सम्पत्ति विद्यालय के नाम अंकित होनके सम्बन्ध में रजिस्ट्रेशन दाखिल खारिज खतौनी की मूल रूप में§

ख§ सम्पत्ति के ऋण व विवाद ग्रस्त रहित होने के सम्बन्ध में परगनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र को राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि।

ग§ सम्पत्ति मूल्यांकन व वार्षिक आय के सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि।

कुसुम मल्ला
MANAGER
ANSHU PUBLIC SCHOOL
DADRI (G.B.NAGAR)

PRINCIPAL
Anshu Public School
Dadri G.B. Nagar

(द) सम्पत्ति के भरण व विवादग्रस्त रहित होने के सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र।

रु0 4.50 पैसे के स्टाम्प पेपर पर प्रबन्धक का शपथ पत्र, जिसमें प्राभूत में दी गयी सम्पत्ति का विवरण सम्पत्ति का मूल्यांकन रु0 .... तथा वार्षिक आय रु0 .... है सम्पत्ति का विवरण ... सम्पत्ति का मूल्यांकन रु0 .... तथा वार्षिक आय रु0......... । सम्पत्ति किसी झगड़े अथवा भार से मुक्त है। सम्पत्ति बिना निरीक्षण अधिकारी से लिखित अनुमति के बिना नहीं बेची जायेगी न हस्तान्तरित की जायेगी। न किसी प्रकार गिरवी रखी जायेगी का स्पष्ट प्रमाण का चाहिए। यह शपथ पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित मूल्य रूप में प्रस्तुत हो।

उपर्युक्त के अतिरिक्त समिति/प्रशासन ने निम्नलिखित प्रतिबन्धों की पूर्ति अधीन मान्यता प्रदान किये जाने का आदेश दिया है अतः इन प्रतिबन्धों की पूर्ति में आवश्यक कार्यवाही की जाये जिससे कक्षा संचालन में विलम्ब न हो।

विद्यालय में उपलब्ध खेल के मैदान के स्वामित्व के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र मूल रूप में दिया ...

... सुरक्षित कोष/ प्राभूत कोष में जमा नकद धनराशि का प्रमाण पत्र दिया जाय।

विद्यालय जिस भूमि पर बना हो भूमि विद्यालय के नाम रहने का प्रमाण पत्र ।

प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल कक्षाएं संचालित न होने का प्रमाण पत्र भी निरीक्षक के *नं० जि० अधिकारी कार्यालय* ... से प्रेषित करें।

विभाग शिक्षण सामग्री हेतु जमा धनराशि का प्रमाण पत्र।

(प्रताप सिंह) *उप सचिव*
क्षेत्रीय सचिव।

पत्रांक संख्या: क्षे० का० मा० शि० प०/मे०/ मान्यता/ दिनांक *30/11/98*

उपर्युक्त की प्रतिलिपि जिला विद्यालय निरीक्षक/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका *... बुलन्दशहर* ... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(प्रताप सिंह) *उप सचिव*
क्षेत्रीय सचिव।

रजिस्टर्ड

मा—9

प्रेषक,

अपर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश,
उप कार्यालय, मेरठ।

सेवा में,

प्रबन्धक,

अंशु पब्लिक हाईस्कूल दादरी
गौतमबुद्धनगर

पत्र संख्या : उप मा0 शि0 प0/मान्यता/ 1016.

मेरठ, दिनांक 17-9-~~199~~ 2003

विषयः—आपका हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन/अतिरिक्त (वर्ग/विषय) की मान्यता का प्रार्थना-पत्र।

महोदय,

धारा 9(4)

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद् की संस्तुति के उपरान्त इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 7—क के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद् की 2003 की हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषयों में मान्यता दिये जाने का आदेश प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इस पत्र में अंकित वर्ग/विषय की नवीन 9वीं/11 वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध से (जैसे अध्यापकगण, सज्जा, शिक्षण–सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से जिला विद्यालय निरीक्षक/~~मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका~~ को पूर्णरूपेण संतुष्ट कर उनसे लिखित अनुमति प्राप्त कर ली जाय। बिना उनकी लिखित अनुमति के संचालित कक्षा अमान्य व अनियमित होगी और इसके लिए संस्थाधिकारी ही स्वयमेव उत्तरदायी होंगे।

(2) इस आदेश-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक/मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका से 9वीं/11वीं कक्षा संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय।

(3) सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय। इसके लिये सिंगिल सीटेड डेस्क व चेयर्स ही स्वीकार किए जायेंगे।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति नियमानुसार की जाय तथा अप्रशिक्षित अध्यापकों/अध्यापिकाओं के स्थान पर प्रशिक्षित एवं योग्य अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाय।

(5) ~~नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय।~~

(6) नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयमेव वहन करें।

कुसुमलता
MANAGER
ANSHU PUBLIC SCHOOL
DADRI (G.B.NAGAR)

PRINCIPAL
Anshu Public School
Dadri. G.B. Nagar

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है, तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।

(ख) प्रबन्ध तन्त्र का प्रस्ताव जि०वि०नि० से प्रमाणित कराकर दें।
(ग) 5000 रु० प्रतिभूति कोष प्रमाण पत्र निरीक्षक के माध्यम से दें, जो प्रबन्ध कोष व सुरक्षित कोष के अतिरिक्त होगा।
(घ) संस्था में 155 कुर्सी व 95 मेज तथा 25000 रु० मूल्य की पुस्त० शिक्षण सामग्री क्रय कर वाउचर निरीक्षक से प्रमाणित कराकर दें।
(ङ) विद्यालय में 20x20 के 12 कमरे की माप में ओवर राईटिंग है अतः यदि उक्त माप के कमरे कम है तो पूर्ण किया जाय तथा 20x24 के कितने कमरे हैं निरीक्षक से आख्या भेजायें तथा 20x30 का एक हॉल और बनवाया जाय।
(च) यदि खसरा व खतौनी सम्बन्धी भूमि का विद्यालय के नाम दाखिल खारिज कराकर प्रमाण पत्र निरीक्षक के माध्यम से दें।
नोट:- मान्यता पत्र निर्गत तिथि से दो वर्ष में अनुपालन आख्या की सूचना जि०वि०नि० तथा परिषद कार्यालय को दे दी जाय, अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
2. समस्त प्रतिबन्ध एक वर्ष के अन्दर पूर्ण कर लिया जाय, अन्यथा मान्यता समाप्त की जा सकती है।

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टर/विज्ञा० नवीन	हिन्दी	अंग्रेजी, भौतिकविज्ञान, रसायनविज्ञान, गणित, जीवविज्ञान

टिप्पणी—(1) कक्षा .... में प्रवेश हेतु कम से कम .... छात्र उपलब्ध होने तथा इस पत्र में अंकित समस्त प्रतिबन्धों (नियुक्तियों को छोड़कर) की पूर्ति होने के उपरान्त ही निरीक्षक/निरीक्षिका कृपया कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान करें।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : उप मा० शि० प०/मान्यता/ 1016 – 4   दिनांक 17-9-2001

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) जिला विद्यालय निरीक्षक/~~क्षेत्रीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका~~। औरैया
(2) मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक
(3) उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा निदेशालय, उ० प्र०, इलाहाबाद।
(4) हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा, संस्थागत अनुभाग।

(हस्ताक्षर)
अपर सचिव।
15-9-2001

रजिस्टर्ड

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।

सेवा में,

प्रबन्धक,

अंशु पब्लिक इण्टर कालेज, दादरी,

गौतमबुद्धनगर

पत्रांक : आई० वी० मान्यता/ 241 दिनांक 12-5-2006

विषय :-इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् की संस्तुति के उपरान्त इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987 की धारा 7-क (क) के अंतर्गत आपके विद्यालय को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद् की 2008 की इण्टरमीडिएट परीक्षा म निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषय में वित्त विहीन मान्यता इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम की धारा 7 क (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम—1987 की धारा 7-क (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन/वर्ग/विषय की प्रदत्त मान्यता को 11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भूमि/भवन, पुस्तकालय, प्राभृत कोष, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद् को अवगत करायें।

(2) इस मान्यता पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही संस्था द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् कार्यालय को 11वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाये, अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।

(4) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता पर ही प्रभावी होगा।

(5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षायें संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयं वहन करेंगे तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम-1987 की धारा 7-क (क) के समस्त प्रावधान यथावत् लागू होंगे।

कुसुमलता
MANAGER
ANSHU PUBLIC SCHOOL
DADRI (G.B.NAGAR)

PRINCIPAL
Anshu Public School
Dadri, G.B. Nagar

कृ० प० उ०

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्थाधिकारी द्वारा मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना/प्रमाण गलत अथवा मिथ्या पाया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय की प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थाधिकारी का होगा।

(ख) परिषद के विनियम ।। ट अध्याय–7 के अनुसार बालक विद्यालय में बालिकाओं का प्रवेश मान्य नहीं है।

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इन्टर/मानविकी	हिन्दी	नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल
इन्टर/वाणिज्य अति0 वर्ग	हिन्दी	अंग्रेजी, बहीखाता तथा लेखाशास्त्र, व्यापारिक संगठन पत्र व्यवहार एवं बाजार विवरणी अधिकोषण तत्व गणित तथा प्रारम्भिक सांख्यकी।

टिप्पणी– उक्त पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6 (छः) माह के अन्दर किये जाने की आख्या एवं प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा ।

भवदीय,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।

26.4.06
26/4/2006

पृष्ठांकन संख्या : आई०बी० मान्यता/ दिनांक 200

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– जिला विद्यालय निरीक्षक, -----गौतमबुद्धनगर---।---- ।
2– संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, ---------मेरठ।-------- ।
3– सभागीय उप शिक्षा निदेशक, ---------------------------- ।
4– इन्टरमीडिएट परीक्षा अनुभाग को अभिलेख हेतु।
5– सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, मुख्यालय, इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।

लो०मु०प्र०पी० (आर०आर०) 135--मा० शि० प० 9 2003 (कम्प्यूटर/आफसेट)।